कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्रांक एफ–7 (18) भर्ती/गोपनीय/2000–01/74 दिनांक 08.05.2018 द्वारा द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के ग्रुप–एफ के पद प्रधानाध्यापक रा मा वि समकक्ष के पद पर वेतन श्रृंखला 12ए (7500–12000)(वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा– पुनरीक्षित वेतनमान नियम–2017 के पे मैट्रिक्स में लेवल एल–14) में निम्नांकित अभ्यर्थी को चयनित किया जाकर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया हैं। डी0बी0 स्पेशल अपील(रिट) संख्या 2788/2007 राज्य बनाम माया बजाड में पारित आदेश दिनॉक 22.04.2008/22.12.2008 (अंतर्गत याचिका सं0 7751/2003) के अन्तर्गत शासन के पत्रांक पं.17(219) माध्य/ शिक्षा–2/विप्र/2006 जयपुर दिनांक 26.02.2019 की अनुपालना में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अंकित माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक मावि के पद पर कार्यग्रहण तिथि से 2 वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में नियत पारिश्रमिक/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाकर पदस्थापित किया जाता है। अभ्यर्थी को अपने पदस्थापन स्थान पर दिनांकः–25/07/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निधारित तिथि तक कार्यग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त समझा जावें। "This appointment is subject to the decisions of various litigations pending before hon'ble courts"

क्र सं	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी मय पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	जिला
1	76–ए(76 व 77 के मध्य)	माया बजाड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनबई, उदयपुर	01.01.1972	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सागासी– नवलगढ	झुंझनु

यह नियुक्ति राज्य सरकार के पत्रांक प.23 (13) शिक्षा–2/2000 दिनांक 07.02.2004 के क्रम में प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के परिपत्र आदेश पं.06(01) कार्मिकक/क–2/2003 दिनॉक 09.06.2003 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2004 के बाद की जाने वाली नई नियुक्ति/भर्ती(आशार्थी) पर पुराने पेंशन नियम लागू नहीं होगें। इनके स्थान पर इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001(33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी नवनियुक्त आशार्थी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01/06/2002 को या इसके पश्चात सन्तानोत्पति से बच्चों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.वि. वर्ग के अभ्यर्थियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे एवं इनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं पात्रता संबंधी मूल दस्तावेज जांच करने के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करेंगे अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को सूचित करेंगे ।

सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निश्चित दिनांक तक कार्यग्रहण करने बाबत कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें। <u>उक्त कार्मिक द्वारा दिनांकः–25/07/2019 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, झुंझनु में कार्यग्रहण कर अपने दस्तावेज प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक हैं।</u> निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/बी–1/45001/पीएससी–2004/2004 दिनांक–19/07/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. विशिष्ट सहायक , शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर
5. सिलस्ट एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा
6. संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा, उदयपुर/चूरू
7. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक, झुंझनु को पाबन्द किया जाता हैं कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,खैरवाडा, उदयपुर को पाबन्द किया जाता है कि कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
9. माया बजाड, राउमावि,कनबई, खेरवाडा उदयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/संस्थापन सी अनुभाग
11. सम्बन्धित शाला–संस्था प्रधान
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Scanned by CamScanner